बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 9-1-20

संख्या–7 / स्था0–04–01 / 2017सा0प्र0 279 / भारत – संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा), नियमावली, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।**–(1) यह नियमावली "बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 में नियम–11 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली का नियम–11 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

   परिवीक्षाधीन व्यक्ति के प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि सामान्यतया निम्नलिखित विभिन्न शाखाओं में विभाजित की जाएगी:–

   (i) मुंसिफ (सिविल न्यायाधीश, कनीय खंड) और अधीनस्थ न्यायाधीश (सिविल न्यायाधीश, वरीय खंड) के साथ प्रशिक्षण–2 माह

   (ii) मजिस्ट्रेट के कार्य का प्रशिक्षण–2 माह

   (iii) जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ प्रशिक्षण–2 माह

   (iv) बिहार न्यायिक अकादमी में राजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य / विधि सहित प्रशिक्षण–6 माह

3. **बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 के नियम–24 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली का नियम–24 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

प्रत्येक परिवीक्षार्थी (प्रोबेशनर) को छः माह की अवधि के लिए बिहार न्यायिक अकादमी में अनुसूची के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उक्त प्रशिक्षण के दरम्यान परिवीक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता के निर्णयों एवं आदेशों को लिखने में उन्हें सहायता करने वाले कौशल में पारंगत करने पर जोर दिया जाएगा। उसी समय परिवीक्षार्थियों पर इस बाबत विशेष बल दिया जायेगा कि उनमें मुद्दों के गठन/उनका निपटान, आरोपों के गठन और साक्षियों के बयान को लिखा जाना सहित विचारण की जटिलताओं को समझने का कौशल भी आ जाए। इस प्रयोजनार्थ परिवीक्षार्थियों से इस छः माह की प्रशिक्षण अवधि के दरम्यान साप्ताहिक जाँच परीक्षाओं में मुद्दों/आरोपों के गठन, बनावटी साक्षियों का बयान एवं निर्णयों को लिखने को कहा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
08.01.2020
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–01/2017सा0प्र0 279 /पटना–15, दिनांक 9-1-20

प्रतिलिपिः–ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

08.01.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–01/2017सा0प्र0 279 /पटना–15, दिनांक 9-1-20

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–02 दिनांक 27.12.2019 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08.01.2020
सरकार के अवर सचिव।

Government Of Bihar
General Administration Department

Notification

Patna, Dated......9-1-20.......

No-7/Astha-04-01/2017GAD.......279........../In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar, after consultation with the High Court of Judicature at Patna to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019:-

The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination), (Amendment) Rules, 2019

1. **Short title, extent and commencement.-(1)** These Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) (Amendment) Rules, 2019.

   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. **Substitution of Rule 11 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019.-** The existing Rule 11 shall be substituted as follows:-

   The minimum period of training of a probationer shall ordinarily be divided between the different branches as follows:-

   (I) Training with Munsif (Civil Judge, Junior Division) and Subordinate Judge (Civil Judge, Senior Division) - 02 months.

   (II) Training in Magisterial work - 02 months.

   (III) Training with District and Sessions Judges - 02 months.

   (IV) Training at Bihar Judicial Academy which would include training in Revenue Survey and Settlement work/Laws - 06 months.

3. **Substitution of Rule 24 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019.-** The existing Rule 24 shall be substituted as follows:-

Every probationer shall undergo a training schedule at the Bihar Judicial Academy for a period of six months. Such training shall lay emphasis on equipping the probationers with skills to help them in writing judgments and orders of good quality. At the same time stress should be laid on making the probationers understand the intricacies the various aspects of trial including framing/settlement of issues, framing of charges and noting down deposition of witnesses. For this purpose, the probationers may be asked to frame issues/charges, write mock depositions and judgments in weekly tests during this training period of six months.

By order of the Governor of Bihar

08.01.2020
(Shiv Mahadev Prasad)
Under Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Astha-04-01/2017GAD.....279......../Patna-15, dated ..9-1-20

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

08.01.2020
Under Secretary to the Govt.

Memo no.-7/Astha-04-01/2017GAD....279........./Patna-15, dated .9-1-20

Copy forwarded to the Accountant General (A & E), Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet Secretariat with reference to Cabinet item no.-02 dated 27.12.2019/ Secretary, Law Department, Bihar/Secretary, B.P.S.C., Patna/All District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

08.01.2020
Under Secretary to the Govt.